प्रेषक

शिवराज कुमार यादव
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊ दिनांक 10 दिसंबर 2024

विषयररू- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान-10 लेखाशीर्षक-2401 फसल कृषि कर्म- 119 बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-04 फल-0418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के मानक मद-27 सब्सिडी में रू0-10054.07 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-69/बजट/2024-25 दिनांक 07.11.2024 के सन्ददर्भ में वित्त विभाग के पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति संख्य-आर0ई0-बजट-1-165/ई-1/दस-2024 दिनांक-10.12.2024 पृष्ठांकन संख्या-1225/58-2-2024 दिनांक-10.12.2024 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0401-उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 की योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू0-30000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बचत से धनराशि रू0-10054.07 लाख अनुदान-10 लेखाशीर्षक-2401 फसल कृषि कर्म-119 बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-04 फल-0418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के मानक मद-27 सब्सिडी में रू0-10054.07 लाख को पुनर्विनियोग माध्यम से निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य प्रशा0 विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसके सापेक्ष धनराशि का आहरण/व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(4) योजनान्तर्गत जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगा।

(5) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1 00 54 07 000 (रुपये एक अरब चौवन लाख सात हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 010 लेखा शीर्षक 2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2017 मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनाँक- 04-मार्च 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नेकरूयथोक्त ।

भवदीय

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या।-301/2024/1071/58-2-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितरू-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शिवराज कुमार यादव
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in